

20.09.2022:—आज यह पत्रावली वादी अधिवक्ता के प्रार्थना-पत्र पर पेशी में लिया गया। प्रार्थना-पत्र शामिल पत्रावली किया गया। वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादी अपने वाद पत्र में आगे नहीं चलाना चाहता। उक्त वादपत्र वादी के विधिक अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए वादपत्र विद्धा करने की अनुमति प्रदान करे। वादी व वादी अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादी के फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गये। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र शर्मा द्वारा की गई। अतः वादपत्र वादी मौजूदा सूरत में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर

एवं उपखण्डाधिकारी

हनुमानगढ़

